



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 1992/आश्विन 24, 1914
No. 665] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 1992/ASVINA 24, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1992

अधिसूचना

का.प्रा. 771(अ):—केन्द्रीय सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात
विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की अनुसूची में “लवणजल में हरी
भिन्ने” को जोड़ना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

कृषि और प्रसस्कृत खाद्य उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की अनुसूची में क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“16. लवणजल में हरी मिर्च”।

[फा. स. 11/33/91-एपी (एग्री IV)]

जे. एस. गिल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 1992

S.O. 771(E).—Whereas the Central Government considers it necessary and expedient to add “Green pepper in brine” to the Schedule to the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986) :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Schedule to the said Act, namely :—

In the Schedule to the Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986) after serial number 15 and the entry relating thereto, the following serial number and the entry shall be added, namely :—

“16. Green Pepper in brine.”

[F. No. 11/33/91-EP (AGRI.V)]

J. S. GILL, Jt. Secy.